म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स जेल रोड, किसान भवन भोपाल.

email

क./बोर्ड/यो./गै.त./भोज./35/19–20/620 भोपाल, दिनांक 21/10/2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय–..(समस्त)

विषय :– मंडियों में कृषकों एवं हम्माल तुलावटियों के लिये लागू 5/– रूपये प्रति थाली भोजन योजना अंतर्गत भोजन की गुणवत्ता एवं साफ–सफाई आदि के संबंध में।

संदर्भः– मण्डी बोर्ड का पत्र कमांक 183–184 दिनांक 22.04.2019, पत्र क. 271–272 दि. 25.05.2019, पत्र कमांक 538–539 दिनांक 04.09.2019, पत्र कमांक 569 दिनांक 24.09.2019

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रथम संदर्भित पत्र द्वारा मण्डी प्रांगण में कृषक/हम्माल/तुलावटी के लिये संचालित 5/–रूपये प्रति थाली भोजन योजना के कियान्वयन, प्रचार–प्रसार, व्यय एवं व्यवस्था के संबंध में जारी दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

द्वितीय संदर्भित पत्र द्वारा प्रपत्र ''अ'' मासिक जानकारी, संशोधित प्रपत्र ''क'' एवं ''ख'' में मांग पत्र एवं समस्त मण्डी समितियों को एक समान के भोजन कूपन जारी करने के निर्देश जारी किये गये थे।

तृतीय संदर्भित पत्र द्वारा योजना प्रारम्भ दिनांक से अगस्त 2019 तक योजना अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय राशि की जानकारी चाही गई थी।

उपरोक्त तीन पत्रों का पालन प्रतिवेदन चाहा गया था जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः तीनों पालन प्रतिवेदन के शीघ्र उपलब्ध करावें। साथ ही कृषक भोजन अनुदान राशि के मांग पत्र के साथ यह भी प्रमाण-प्रत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है कि अनुदान राशि के मांग-पत्रों की अवधि में संबंधित केन्टीन संचालित थी। (प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

18/10/19

संयुक्त संचालक(योजना)
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....(म.प्र.)

क्र./ भोपाल, दिनांक / /

:: प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति.. जिला............................से माह ....से......................................तक की अवधि के अनुदान राशि रूपये ....(शब्दों में ....) के कृषक भोजन अनुदान राशि के मांग पत्र अनुशंसा सहित प्रेषित किये गये हैं उक्त अवधि में कृषक, हम्माल एवं तुलावटियों की सुविधा के लिये मण्डी प्रांगण में योजनांतर्गत भोजनालय (केन्टीन) संचालित थी।

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय...........................